सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 1 राँची, मंगलवार, 22 अग्रहायण, 1938 (श०)
13 दिसम्बर, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2016

14वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अनुशंसित कार्य प्रदर्शन अनुदान (Performance grant) के आवंटन हेतु प्रक्रिया

संख्या:- 05/न०वि०/14th FC/Performance Grant (2016-17)/13/2016-6654-- झारखण्ड राज्य में वर्तमान मे 06 नगर निगम, 19 नगर परिषद्, 16 नगर पंचायत सहित एवं 02 अधिसूचित क्षेत्र कुल 43 निकाय गठित है । झारखण्ड राज्य में 28 नगर निकायों में सामान्य निर्वाचित वर्ष 2013 मे सम्पन्न हुए तथा 08 निकाय क्रमशः देवघर नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, चक्रधरपुर नगर परिषद्, झुमरी तिलैया नगर परिषद्, बिश्रामपुर नगर परिषद्, कोडरमा नगर पंचायत एवं मंझिआंव नगर पंचायत में चुनाव वर्ष 2015 में संपन्न हुआ । निर्वाचन के पश्चात् अभी 7 निकाय में चुनाव होना शेष है, जो सम्प्रति प्रक्रियाधीन है ।

2. 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि का वितरण-

2.1 14वें वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि शहरी स्थानीय निकायों को नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं पर व्यय करने के अतिरिक्त प्रशासनिक, बुनियादी तथा

क्षमता निर्माण के लिए भी सहयोग चाहिए, जिसके लिए उन्हें समुचित वित्तीय समर्थन दिए जाने की नितांत आवश्यकता है ।

2.2 केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा विधिवत् गठित शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान को दो हिस्सों में बांटा गया है :-

2.2.1 मूल अनुदान (Basic Grant)

2.2.2 कार्य प्रदर्शन अनुदान (Performance Grant)

3. शहरी स्थानीय निकायों को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार अनुदान के आवंटन में मूल अनुदान (Basic Grant) के रूप में 80 प्रतिशत तथा कार्य प्रदर्शन अनुदान (Performance Grant) के रूप में 20 प्रतिशत राशि अनुमान्य है ।

3.1 मूल अनुदान की राशि वर्ष 2015-16 में प्राप्त होगी, जबकि कार्य प्रदर्शन की राशि वर्ष 2016-17 से प्राप्त होगी ।

3.2 आयोग द्वारा झारखण्ड के नगर निकायों के लिए वर्षवार मूल अनुदान (Basic Grant) और कार्य प्रदर्शन अनुदान (Performance Grant) हेतु कर्णांकित अनुदान राशि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र॰सं॰	अनुदान का नाम	निकाय का नाम	कर्णांकित अनुदान राशि (करोड़ में)					योग
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1	मूल अनुदान	शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिकाऐं/नगर पंचायतें)	183.74	254.42	293.95	340.05	459.48	1531.64
2	कार्य प्रदर्शन अनुदान		0.00	75.09	84.97	96.50	126.35	382.91
		योग	**183.74**	**329.51**	**378.92**	**436.55**	**585.83**	**1914.55**

4. कार्य प्रदर्शन (Performance) का उद्देश्य एवं अर्हतायें-

4.1 नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों के विश्वसनीय आंकड़ों और लेखाओं की स्थिति संतोषजनक न होने के कारण इस समस्या के समाधान एवं निकायों को अपने आय के संसाधन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने तथा लोक सुविधायें बढ़ाने हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा कार्य प्रदर्शन अनुदान विमुक्त किए जाने की अनुशंसा की गयी है ।

4.2 यह कार्य प्रदर्शन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016-17 से केवल उन्ही निकायों को दिया जायेगा, जो निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन करेंगे तथा शर्तों को पूर्ण

करने संबंधी सूचना प्रतिवर्ष निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड को 30 सितम्बर तक उपलब्ध कराऐंगे :-

4.2.1 कार्य प्रदर्शन अनुदान के लिए निकाय द्वारा अंकेक्षण (Audit) के माध्यम से प्राप्तियों एवं व्ययों के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना । (यह आंकड़े प्रश्नगत कार्य प्रदर्शन अनुदान वर्ष से दो वर्ष से अधिक के पूर्व नहीं होने चाहिए।)

4.2.2 अपने राजस्व में सुधार लाना ।

4.2.3 मूलभूत सेवाओं के लिए सेवा स्तरीय बैंच मार्कों (Service Level Benchmarks) का निर्धारण करना ।

5. कार्य प्रदर्शन अनुदान राशि के वितरण हेतु निकायों की पात्रता-

5.1 कार्य प्रदर्शन अनुदान की राशि की विमुक्ति हेतु नगर निकायों का चयन निम्न वर्णित आधार पर किया जायेगा :

5.1.1 अंकेक्षण (Audit) की शर्त पूर्ण करने के लिए ऐसे निकायों को पात्र माना जायेगा, जो अपने लेखा पुस्तिकाओं में अपने करों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदानों को अलग-अलग दर्शातें हों तथा अपने लेखाओं का निर्धारित समय पर अंकेक्षण (Audit) सम्पन्न कराते हों ।

साथ ही, निकाय जिस वर्ष का दावा कर रहे हों, अंकेक्षण प्रतिवेदन उससे दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे वर्ष 2016-17 के कार्य प्रदर्शन अनुदान के लिए वर्ष 2014-15, वर्ष 2017-18 के कार्य प्रदर्शन अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16, वर्ष 2018-19 के कार्य प्रदर्शन अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2019-20 के कार्य प्रदर्शन अनुदान की राशि के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 की अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना होगा ।

5.1.2 राजस्व सुधार की शर्त पूर्ण करने के लिए ऐसे निकायों को पात्र माना जायेगा, जिनके द्वारा स्वयं के संसाधनों से हुई निजी आय में गत वर्ष की अपेक्षा अपने राजस्व में कम से कम उत्तरोत्तर वृद्धि की गयी हो ।

यह उत्तरोत्तर वृद्धि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से अनिवार्य होगी। राजस्व वृद्धि को दर्शाने हेतु प्रस्तुत किए गए आंकड़े अंकेक्षण प्रतिवेदन में परिलक्षित होने चाहिए, तभी राजस्व में सुधार की शर्त पूरी हुई मानी जायेगी ।

यदि निकाय द्वारा प्रस्तुत स्वयं के संसाधनों से प्रस्तुत राजस्व वृद्धि के आंकड़ों एवं तत्समय की अंकेक्षण प्रतिवेदन में भिन्नता पायी जाती है, तो इस शर्त को अपूर्ण माना जाएगा ।

5.1.3 सेवा स्तर बैंच मार्क की अधिसूचना का प्रकाशन एवं आकलन शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जानी वाली मूलभूत सेवाओं से संबंधित सेवा स्तर बैंच मार्क को 31 मार्च से पूर्व अधिसूचित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना आवश्यक होगा ।

उक्त हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सर्विस लेवल बैंच मार्क को आधार माना जायेगा ।

सभी नगर निकाय अपने सेवा स्तर बैंच मार्क का प्रकाशन अपने जिला गजट के असाधारण अंक में करेंगे ।

6. कार्य प्रदर्शन अनुदान की राशि का विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के बीच वितरण-

6.1 राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को उनकी जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात में कार्य प्रदर्शन अनुदान की राशि अनुमान्य होगी। इस क्रम में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात 90:10 रहेगा ।

6.2 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक पात्र शहरी स्थानीय निकायों के बीच कार्य प्रदर्शन अनुदान के वितरण के उपरान्त अपात्र शहरी स्थानीय निकायों को अनुमान्य राशि अवशेष रहने की स्थिति में ऐसी राशि उपर्युक्त कंडिका 6.1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार समस्त पात्र शहरी स्थानीय निकायों के बीच पुर्नवितरित कर दी जाएगी ।

7. शहरी स्थानीय निकायों का वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन-

7.1 निदेशक, लेखा परीक्षा, झारखण्ड तथा महालेखाकार झारखण्ड राज्य की समस्त नगर निकायों की वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सम्पादित करेंगे तथा पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त आय व व्यय एवं निकाय के स्वयं के स्रोतों से अर्जित आय से संबंधित लेखा परीक्षा के आधार पर प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक निदेशक, शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड को उपलब्ध करायेंगे ।

7.2 विशेष परिस्थिति में शहरी स्थानीय निकायों का अंकेक्षण Chartered Accountant के माध्यम से भी कराया जा सकेगा ताकि ससमय निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके ।

8. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विशेष परिस्थिति में निम्नांकित समय सीमाएँ निर्धारित की जाती हैः-

क्रमांक	कंडिका	विस्तारित तिथि
1	अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report)	31 दिसम्बर, 2016
2	राजस्व सुधार प्रतिवेदन (Increase in Revenue)	31 दिसम्बर, 2016
3	सेवा स्तर बैंच मार्क (Service Level Benchmarks)	31 दिसम्बर, 2016

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1--200